Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 13–2025] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 1, 2025 (CHAITRA 11, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 2025

संख्या 12/250–2024/पुरा/1636–1644.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों तथा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
मुकुंदपुरा बावड़ी, 18वीं–19वीं शताब्दी पूर्व	मुकुंदपुरा बावड़ी, 18वीं–19वीं शताब्दी पूर्व	मुकुंदपुरा/नारनौल	महेंद्रगढ	हदबस्त संख्या 215 खसरा संख्या 53//26 खतौनी संख्या 612 खेवट संख्या 420	3–19	केन्द्रीय सरकार	मुकुंदपुरा बावड़ी पारंपरिक भारतीय बावड़ी डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें जलाशय तक जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला है। बावड़ी का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। बावड़ी को वर्षा जल एकत्र करने और संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था,

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/ शहर का नाम	तहसील/ जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/ किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
							जो स्थानीय समुदाय के लिए एक विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान करता था। इससे शहर को सहारा देने और खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता था। ऐसा माना जाता है कि शहर और बावड़ी का नाम राय बाल मुकुंद दास के नाम पर रखा गया था, जो एक अमीर जमींदार थे, जिन्होंने मुगल सम्राट शाहजहाँ के अधीन काम किया था। बावड़ी इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रण प्रदर्शित करती है, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक आदान–प्रदान और विविधता को दर्शाती है। यह बावड़ी अलंकरण से रहित है, हालाँकि मूल रूप से वहाँ भित्तिचित्रित प्लास्टर रहा होगा। लेकिन ऊपर गुंबदों के साथ मेहराबदार दीर्घाओं की दो मंजिलें इस आभूषण को एक राजसी एहसास देती हैं। इस बावड़ी को इसकी छत पर बनी चार छोटी छतरियों (गुंबद के आकार के मंडप) के माध्यम से आसानी से पाया जा सकता है। इसकी तीन मंजिलें हैं और जिनमें से दो जमीनी स्तर से नीचे हैं। पहले और दूसरे स्तर के तीन तरफ लंबे और संकीर्ण गलियारे हैं। शेष हिस्से में सीढ़ियाँ हैं, जो तीसरे स्तर पर एक छोटे टैंक तक जाती हैं।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 26th March, 2025

No. 12/250-2024/pura/1636-1644.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964) the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be a protected archaeological sites and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be a protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil/ district	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Mukundpura Baoli, 18th-19th CE	Mukundpura Baoli, 18th-19th CE	Mukundpura/ Narnaul	Mahendergarh	Hadbast No. 215 Khasra No. 53//26 Khotni No. 612 Khewat No. 420	3-19	Central Government	Mukundapura Baoli is an excellent example of traditional Indian stepwell design, featuring a series of steps leading down to a water reservoir. The baoli was built in the 18th century. The baoli was designed to collect and conserve rainwater, providing a reliable water source for the local community. It yielded enough water to support the town and irrigate the fields. It is believed that the town and step-well were named after Rai Bal Mukund Das, a rich landowner who had served under Mughal emperor Shah Jahan. The stepwell showcases a blend of Islamic and Hindu architectural styles, reflecting the cultural exchange and diversity of the region. This stepwell is devoid of ornamentation, although there may have been frescoed plaster originally. But the two stories of arched galleries with the domes above give this jewel a regal feel. This baoli can be easily located through its four small Chattris (dome-shaped pavilions) on its rooftop. It has three storeys and two of which are below the ground level. There are long and narrow corridors on three sides of the first and second levels. The remaining side has stairs, leading all the way down to a small tank on the third level.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11778—C.S.—H.G.P., Pkl.